2024/52

शर्मा जी

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177	43/24	29/1/2024	निर्णय 22.5.24	14.5.24 15.5.24

अनवान

श्री तहसीलदार, बिजौलिया श्री गोपाल S/o चतरा जाति गुर्जर

निवासी बिजौलिया निवासी सातकुन्डिया तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री पैरोकार सरकार श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राज्य सरकार बनाम गोपाल

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 43 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/2/24 27/2	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी 27/2/24 को पेश हो।	
27/2/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19/3/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
19/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

14/5/24 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी को बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी को 3 बार आवाज लगाई परन्तु कोई पेश नहीं हुआ। ना ही विपक्षी की ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुआ। पत्रावली में विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 15/5/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

15/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 22/5/24 को वास्ते निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

22/5/24 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई एवं निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली में डिक्री मुर्तिब की गई। तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वार्गे,
श्रीमान् उपखण्ड अधि
बिजौलियाँ
राजस्थान सरकार जरिये तहसी
1. गोपाल पुत्र चतरा जाति गुर्जर नि
कार्यवाही अन्तर्गत धारा 17
ोदय,
वादी की ओर से निम्न प्रकार
यह है कि ग्राम सतकुन्डिया पटवार म
न0 301/1 रकबा 0.1214 है0 किस्म
हक से दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबं
यह है कि मद संख्या 1 में वर्णित अ
पर काश्त नहीं है। मौका पर्चा साथ मे
यह है कि उक्त वर्णित आराजी पर प्र
प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नह
यह है कि प्रतिवादी ने खातेदारी अ
0.1214 है0 भूमि पर अवैध खनन होक
यह है कि विवादग्रस्त भूमि न्यायालय
यह है कि इस प्रकार का प्रार्थना पत्र
यह है कि प्रार्थना पत्र राज्य सरकार
अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि
214 है0 भूमि को बिलानाम सरकार द
ग्न:– उक्तानुसार रेकार्ड
कः– 25.1.2024
मैं वादी यह सत्यापन करता ह
गी ज्ञान एवं विश्वास से सही है।

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 43/2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. गोपाल पुत्र चतरा जाति गुर्जर निवासी सतकुन्डियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– पैरोकार तहसीलदार।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– २२/05/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सतकुन्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 301/1 रकबा 0.1214 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 301/1 रकबा 0.1214 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि में खातेदार का मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 301/1 रकबा 0.1214 है0 भूमि पर अवैध खनन होकर खड्डा हो रहा है। प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं। अतः प्रतिवादी की उक्त वर्णित आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जो शामील पत्रावली हैं। बार–बार आवाज लगायी गयी। न तो प्रतिवादी और न ही प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

प्रतिवादी वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियां)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नया खाता संख्या 24 ग्राम सतकुन्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रति, मौका पर्चा दिनांक 24.01.2024 की प्रति, नक्शा, गुगल फोटो, कलर फोटोग्राफ –2 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम सतकुन्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 301/1 रकबा 0.1214 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि पर मौके पर अवैध खनन होकर खड्डा हो रहा हैं। एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता हैं। वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सतकुन्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 301/1 रकबा 0.1214 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 22/05/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री (अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 43/2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

1. गोपाल पुत्र चतरा जाति गुर्जर निवासी सतकुन्डियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.........मदयून

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 22/05/2024
डिक्री दिनांक : 22/05/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रुप से डिक्री** किया जाकर ग्राम सतकुन्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 301/1 रकबा 0.1214 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/05/2024 को जारी की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

लगातार पेज संख्या 02 पर

नीज ....Nil................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .. .. Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)